न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 16 / 2026
जीसीएमएस नं. : 2026 / 30

प्रार्थी :–

सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी,
जिला रसद कार्यालय, बॉसवाडा

बनाम

अप्रार्थी :–

श्री सुरेश जैन / मणिलाल जी प्रोपराईटर सुरेश रेस्टोरेंट गनोडा रोड घाटोल जिला बांसवाडा

उपस्थित

–विभागीय प्रतिनिधि

अप्रार्थी स्वयं

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

दिनांक :– 10–04–2026

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो के दुरुपयोग/ अवैध रिफिलिंग/ अवैद्य भण्डारण के विरुद्व दिनांक 16.02.2026 से 27.02.2026 तक चलाए गए सघन अभियान के तहत दिनांक 26.02.2026 को गनोडा रोड, घाटोल स्थित सुरेश रेस्टोरेंट की जांच उसके प्रोपराईटर श्री सुरेश जैन/ मणिलाल जी की उपस्थिति में श्री लालशंकर डामोर प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनील कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। मौके पर 1 घरेलु सिलेण्डर का उपयोग कर फर्म पर पौहा, कचौरी एवं समोसे बनाना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है–

क्र. स.	नाम ऑयल कम्पनी	सिलेंडर का एस. आर. नम्बर	कुल वजन किग्रा. में	खाली सिलेण्डर वजन	गैस का वजन
1	IOCL	304698 S	[illegible]	15.400	11.600

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.05.07 11:32:19 IST
Reason: SelfAttested

श्री सुरेश जैन/ मणिल[illegible] फर्म पर एल.पी.जी [illegible]ण्डर के व्यवसायिक उपयोग के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संत[illegible]नक जवाब नही दिया [illegible] ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर 1 घरेलु सिलेण्डर का भण्डारण करना पाये

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 1 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किया जाकर प्रियांशु इन्डेन गैस एजेन्सी घाटोल के प्रतिनिधि श्री सुरेश डामोर/ कान्तिलाल डामोर को सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौके से उपरोक्तानुसार जप्त 1 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 10.04.2026 को अप्रार्थी उपस्थित रहे। अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से घरेलु गैस सिलेण्डरो का कोई अवैध व्यवसाय या कारोबार नही किया जाता है और न ही अवैध भण्डारण किया जाता है। यह मेरा प्रथम अपराध है। जब्तशुदा 1 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात किया जावे।

विभागीय प्रतिनिधि की ओर से प्रस्तुत बहस कथन किया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो के दुरुपयोग/ अवैध रिफिलिंग/ अवैद्य भण्डारण के विरुद्ध दिनांक 16.02.2026 से 27.02.2026 तक चलाए गए सघन अभियान के तहत दिनांक 26.02.2026 को गनोडा रोड, घाटोल स्थित सुरेश रेस्टोरेंट की जांच उसके प्रोपराईटर श्री सुरेश जैन/ मणिलाल जी की उपस्थिति में श्री लालशंकर डामोर प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनील कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। मौके पर 1 घरेलु सिलेण्डर का उपयोग कर फर्म पर पौहा, कचौरी एवं समोसे बनाना पाया गया। श्री सुरेश जैन/ मणिलाल जी के व्यवसायिक फर्म पर एल.पी.जी गैस सिलेण्डर के व्यवसायिक उपयोग के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर 1 घरेलु सिलेण्डर का भण्डारण करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 1 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किया जाकर प्रियांशु इन्डेन गैस एजेन्सी घाटोल के प्रतिनिधि श्री सुरेश डामोर/ कान्तिलाल डामोर को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.05.07 11:32:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार कर उपरोक्तानुसार जप्त 1 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी से उपरोक्तानुसार व्यवसायिक स्थान पर 1 घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग करना पाया गया है। अप्रार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसायिक फर्म घरेलु गैस का उपयोग किया जाना प्रमाणित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार जब्त शुदा 1 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 10–04–2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.05.07 11:32:19 IST
Reason: SelfAttested